

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2982  
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

पेद्दापल्ली में हाई-स्पीड इंटरनेट संपर्क

**2982. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पेद्दापल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट संपर्क स्थापित करने के लिए मंत्रालय के वर्ष 2024-25 में 21,936 करोड़ रुपये के बड़े हुए बजट में से विशिष्ट आवंटन कितना है;
- (ख) निर्वाचन क्षेत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं और कोयला खनन कार्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए पेद्दापल्ली जिले में भारतनेट चरण-III के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;
- (ग) औद्योगिक श्रमिक और उनके परिवारों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए पेद्दापल्ली के कोयला खनन से प्रभावित गांवों में सामान्य सेवा केन्द्रों और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आपातकालीन संचार और श्रमिक सुरक्षा निगरानी प्रणालियों के लिए पेद्दापल्ली के भूमिगत कोयला खनन क्षेत्रों में विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर  
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पेद्दापल्ली निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में भारतनेट और 4जी सेचुरेशन आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से 13,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ख) पेद्दापल्ली, तेलंगाना सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। तेलंगाना में भारतनेट का कार्यान्वयन तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा राज्य-नेतृत्व-मॉडल के तहत किया जा रहा है। 30.06.2025 तक, पेद्दापल्ली जिले की 266 ग्राम पंचायतों में से 252 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत जोड़ा गया है।

(ग) पेद्दापल्ली जिले में 141 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) कार्यरत हैं, जिनमें से 87 सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं।

(घ) पूरे भारत में मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भूमिगत कोयला खदानों में आपातकालीन संचार और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें 300/400 मेगाहर्ट्ज बैंड जैसे अन्य फ्रीक्वेंसी बैंडों में भी फ्रीक्वेंसी आवंटित की जाती हैं।

\*\*\*\*\*